प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला–भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, सिरोही, थाना:–एसीबी सीपीएस जयपुर, वर्ष 2022 प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 281/22 दिनांक 13/7/2022

2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018, धारा 7
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धारायेः– .....–.....
   (3) अधिनियम .....–..... धाराये :–.....–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धारायें :– .....–.....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 245 समय 4:30 Pm
   (ब) अपराध के घटने का दिन :–**शनिवार, दिनांक 21.05.2022, समय 04:00 पी.एम.,**
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :– **21.05.2022 समय 12:30 पी.एम.,**

4. सूचना की किस्म :– **कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा,**

5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरीः–**चौकी से बदिश पूर्व बफासला करीब 20 कि.मी. दूर।**
   (ब) पता :– **पुलिस थाना रिको–आबूरोड़, जिला सिरोही,**
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बहरी सीमा का है तो :– नहीं

6. परिवादी/सूचनाकर्त्ता :–
   1. **श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी पुत्र श्री जीवराज भाई संघाणी, जाति संघाणी, उम्र 41 वर्ष, पैशा व्यवसाय, निवासी वावडी रोड कबीरधाम के पास भक्ति नगर सोसायटी मोरबी, जिला मोरवी, राज्य गुजरात, हाल निवासी मकान नं. 402 पाम रेजिडेन्सी अम्बाजी रोड आबूरोड, जिला सिरोही।**

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–
   1. **श्री अर्जुनसिंह पुत्र श्री जगतसिंह, जाति राजपूत, उम्र 46 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम वीरवाड़ा, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रिको–आबूरोड़, जिला सिरोही।**

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ट्रेप राशि 50,000/–रू. रिश्वती राशि की मांग,

11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....

12 विषय वस्त प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

विषयः— गाडी छोडने के लिए पुलिस अधीकारी द्वारा रिश्वत मांगने पर कानूनी कार्यवाही हेतु।

मान्यवरजी,

निवेदन हैं कि मुझ प्रार्थी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी पुत्र श्री जीवराज भाई संघाणी, निवासी वावडी रोड कबीरधाम के पास भक्ति नगर सोसायटी मोरबी, जिला मोरवी, राज्य गुजरात, हाल निवासी मकान नं. 402 पाम रेजिडेन्सी अम्बाजी रोड आबूरोड, जिला सिरोही, राजस्थान, मेरे मोबाईल नंबर 9828148500 हैं। मैं आबूरोड में मिनरल्स का व्यवसाय करता हूं। मेरे पास श्री मोहरसिंह जोगी निवासी हाण्डली, तहसील महुआ, जिलां दौसा नौकरी करता था, माह जून वर्ष 2020 में कोरोना में उसके पिताजी के बीमार होने पर मेरा नौकरी मोहरसिंह मेरे से मेरी गाडी स्वीफ्ट डिजायर नं. जी.जे. 14 ई 6211 घर कार्य हेतु मांगकर लेकर गया था, यह स्वीफ्ट डिजायर गाडी मेरे मनीष भाई के नाम से रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मौहरसिंह मेरी गाडी लौटाने नहीं आया व न ही मेरे यहां नौकरी करने आया, मैंने उससे फोन करके कई बार मेरी गाडी लौटाने का कहा परन्तु वो वापस आया ही नहीं। तब परेशान होकर मैंने दिनांक 28.04.2022 को पुलिस थाना रिको आबूरोड में मेरे नौकर के खिलाफ मुकदमा करवाया, इस मुकदमे की तफ्तीश श्री अर्जुनसिंह एएसआई जिसकी बर्दी पर एक स्टार लगा हुआ हैं, यह कर रहा हैं। कल दिनांक 20/05/2022 की सांय को श्री अर्जुनसिंह एएसआई मेरी गाडी दौसा से बरामद करके नौकर श्री मोहरसिंह को गिरफ्तार कर साथ लेकर आबूरोड थाने आया, व मुझे बुलाने पर मैं थाने में जाकर एएसआई साहब से मिला तो उसने मेरी गाड़ी मुझे सुपुर्द करने की ऐवज में मेरे से 50,000 रू. खर्चा पानी व रिश्वत के तौर पर मांगकर कहा कि 25000 रू. तुरन्त अभी दो और बाकी के 25000 सोमवार दिनांक 23/05/2022 तक देने का कहा हैं। मैंने खूब विनती की कि दो साल से मोहरसिंह ने मेरी गाडी कन्डम कर दी हैं उल्टा मुझे गाडी इससे किराया व मेन्टीनेन्स खर्चा दिलाओ, परन्तु एएसआई साहब ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया व मुझे कहा कि 50 हजार रू. देने पडेगे व आपका मैं राजीनामा करवा दूंगा। मेरे नौकरी ने थाने में मेरे से माफी मांग ली, जिस पर दया करके छोटा लडका व कम अक्ल का समझकर मैंने उसके छोड़ने के लिए एएसआई साहब को आज सुबह लिखकर दे दिया, जिस पर एएसआई साहब ने मुझे कहा कि गाडी व नौकर को छुडवाना हैं तो 50000 रू. देने पडेगे, नही तो आपकी गाडी नहीं छोडूंगा। मैं एएसआई अर्जुनसिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व अर्जुनसिंह एएसआई के बिच कोई रंजिश नहीं है तथा कोई रूपये पैसों की लेनदेन भी बाकी नहीं हैं। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें। मैं मेरी गाडी की आरसी व मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रतियां आपको पेश कर रहा हूं।

दिनांक— 21/05/2022

प्रार्थी

—एस.डी.— श्री ललितकुमार मीणा कनिष्ठ सहायक

—एस.डी.— श्री खुशवन्त कुम्हार कनिष्ठ सहायक,

—एस.डी.— परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई

श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी S/O श्री जीवराज भाई संघाणी, जाति पटेल, उम्र 42 वर्ष, निवासी वावडी रोड कबीरधाम के पास भक्ति नगर सोसायटी मोरबी, जिला मोरवी, राज्य गुजरात, हाल निवासी मकान नं. 402 पाम रेजिडेन्सी अम्बाजी रोड आबूरोड, जिला सिरोही, मोबाईल नंबर 9828148500

सिरोही पर उपस्थित होकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही के निर्देशानुसार चौकी हाजा पर उपस्थित श्री अदाराम ए.एस.आई. के समक्ष एक कम्पयुटराईज्ड टाईप सुदा रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड व एक गाड़ी Maruti Swift Dzire VDI BS-4 No. GJ-14 E 6211 के आर.सी. की स्व–प्रमाणित प्रतियों के इस आशय की प्रस्तुत की कि मैं आबूरोड में मिनरल्स का व्यवसाय करता हूं। मेरे पास श्री मोहरसिंह जोगी निवासी हाण्डली, तहसील महुआ, जिला दौसा नौकरी करता था, माह जून वर्ष 2020 में कोरोना में उसके पिताजी के बीमार होने पर मेरा नौकर मोहरसिंह मेरे से मेरी गाडी स्वीफ्ट डिजायर नं. जी.जे. 14 ई 6211 घर कार्य हेतु मांगकर लेकर गया था, यह स्वीफ्ट डिजायर गाड़ी मेरे मौसी के बेटे मनीष भाई के नाम से रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मौहरसिंह मेरी गाडी लौटाने नहीं आया व न ही मेरे यहां नौकरी करने आया, मैंने उससे फोन करके कई बार मेरी गाडी लौटाने का कहा परन्तु वो वापस आया ही नहीं। तब परेशान होकर मैंने दिनांक 28.04.2022 को पुलिस थाना रिको आबूरोड में मेरे नौकर के खिलाफ मुकदमा करवाया, इस मुकदमे की तफ्तीश श्री अर्जुनसिंह एएसआई जिसकी वर्दी पर एक स्टार लगा हुआ हैं, यह कर रहा हैं। दिनांक 20/05/2022 की सांय को श्री अर्जुनसिंह एएसआई मेरी गाडी दौसा से बरामद करके नौकर श्री मोहरसिंह को गिरफ्तार कर साथ लेकर आबूरोड थाने आया, व मुझे बुलाने पर मैं थाने में जाकर एएसआई साहब से मिला तो उसने मेरी गाड़ी मुझे सुपुर्द करने की ऐवज में मेरे से 50,000 रू. खर्चा पानी व रिश्वत के तौर पर मांगकर कहा कि 25000 रू. तुरन्त अभी दो और बाकी के 25000 सोमवार दिनांक 23/05/2022 तक देना हैं। मैंने खूब विनती की कि दो साल से मोहरसिंह ने मेरी गाडी कन्डम कर दी हैं उल्टा मुझे इससे गाड़ी का किराया व मेन्टीनेन्स खर्चा दिलाओ, परन्तु एएसआई साहब ने मेरी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया व मुझे कहा कि 50 हजार रू. देने पडेगे व आपका मैं राजीनामा करवा दूंगा। मेरे नौकर ने थाने में मेरे से माफी मांग ली, जिस पर दया करके छोटा लड़का व कम अक्ल का समझकर मैंने उसे माफ कर दिया हैं, फिर भी एएसआई साहब ने मुझे कहा कि गाडी व नौकर को छुडवाना हैं तो 50000 रू. देने पडेगे, नही तो आपकी गाडी नहीं छोडूंगा। मैं एएसआई अर्जुनसिंह को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं। मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व अर्जुनसिंह एएसआई के बीच कोई रंजिश नहीं है तथा कोई रूपये पैसों की लेनदेन भी बाकी नहीं हैं। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करावें। मैं मेरी गाडी की आर.सी. व मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रतियां आपको पेश कर रहा हूं। वगैरहा रिपोर्ट एंव संलग्न आर.सी. प्रति का अवलोकन कर श्री अदाराम ए.एस.आई. द्वारा रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी से पूछताछ की गई तो उसने तकरीरन दरियाफ्त पर बताया कि मैंने रिश्वत मांगने से संबधित शिकायत कल दिनांक 20.05.2022 की सांय को ए.सी. बी. के हैल्पलाईन नंबर 1064 पर कॉल करके की थी, जिस पर 1064 हैल्पलाईन पर मेरा कॉल अटेण्ड करने वाले ए.सी.बी. के अधिकारी ने मुझे श्री ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, ए.सी.बी. सिरोही के मोबाईल नंबर 8947093394 देकर कार्यवाही हेतु उक्त नंबरो पर सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया, जिस पर मेरे द्वारा उसी समय उक्त नंबरो पर सम्पर्क किया गया तो मुझे एडिशनल एसपी चौधरी साहब ने एसीबी कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होकर कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश करने का कहा, जिस पर मैं अब यहां रिपोर्ट करने आया हूं। जिस पर श्री अदाराम ए.एस.आई. द्वारा जरिये टेलीफोनिक सम्पर्क कर उक्त रिपोर्ट बाबत् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाने पर मेरे द्वारा परिवादी की रिपोर्ट पर अग्रिम कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने पर श्री अदाराम ए.एस.आई. द्वारा इस बाबत् परिवादी से ओर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं आबूरोड में मिनरल्स का व्यवसाय करता हूं। मेरे पास

नाते मैंने उन्हें गाड़ी दे दी, किन्तु गाड़ी ले जाने के बाद मौहरसिंह आज दिन तक मेरी गाडी लौटाने नहीं आया व न ही मेरे यहां नौकरी करने आया, मैंने उससे फोन करके कई बार मेरी गाडी लौटाने का कहा परन्तु वो वापस आया ही नहीं। तब परेशान होकर मैंने दिनांक 28.04.2022 को पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ में मौहरसिंह के खिलाफ मुकदमा संख्या 94/2022 दर्ज करवा दिया, इससे पूर्व इसी सिलसिले में मैं सिरोही आकर श्रीमान एस.पी. साहब के समक्ष भी पेश हुआ था, मेरे इस मुकदमें की तफ्तीश श्री अर्जुनसिंह देवड़ा ए.एस.आई. पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ कर रहे हैं, कल दिनांक 20/05/2022 की सांय को श्री अर्जुनसिंह एएसआई मेरी गाडी दौसा से बरामद करके नौकर श्री मोहरसिंह को गिरफ्तार कर साथ लेकर आबूरोड थाने आया, व मुझे थाने में बुलाकर श्री अर्जुनसिंह एएसआई ने मुझे गाड़ी सुपुर्द करने की ऐवज में मेरे से 50,000 रू. खर्चा पानी व रिश्वत के तौर पर मांगकर कहा कि 25000 रू. तुरन्त अभी दो और बाकी के 25000 सोमवार तक दे देना, इसके अलावा रास्ते में आने–जाने का खर्चा अलग लगने की बात कही। मैं मेरे वैद्य कार्य की ऐवज में श्री अर्जुनसिंह एएसआई को रिश्वत नहीं देना चाहता हूं, मैं उसे रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। मेरे व अर्जुनसिंह एएसआई के बीच कोई रंजिश नहीं हैं व न ही कोई लेनदेन बकाया हैं। परिवादी ने उक्त रिपोर्ट आबूरोड़ में अपने विश्वस्त टाईपिस्ट से टाईप करवाकर इस पर स्वयं के हस्ताक्षर कर पेश करना व रिपोर्ट में उल्लेखित समस्त तथ्य सही होना जाहिर किया। परिवादी की रिपोर्ट एवं तकरीरन दरियाफ्त से मामला लोक सेवक द्वारा वैध कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम–2018 की परिभाषा में आने से निर्देशानुसार प्रकरण में सर्वप्रथम रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय के श्री रमेशकुमार कानि. 119 का परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से परस्पर परिचय करवाकर दोनों के मोबाईल नंबरों का परस्पर आदान–प्रदान करवाया गया। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय की अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर निकालकर उक्त वॉईस रिकॉर्डर को ऑपरेट करने के तरीके से परिवादी व श्री रमेशकुमार कानि. को अवगत करवाया गया। तत्पश्चात श्री रमेशकुमार कानि. नं. 119 को डिजीटल टेप रिकॉर्डर देकर परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी के साथ रिश्वती राशि मांग–सत्यापन हेतु मुनासिब हिदायत कर परिवादी के निजी वाहन से रवाना पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ की तरफ किया गया। जो बाद सत्यापन उसी दिन बाद दोपहर पुनः ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर स्वीच ऑफ स्थिति में श्री अदाराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर बताया कि निर्देशानुसार चौकी हाजा से परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी के साथ मय डिजीटल टेप रिकॉर्डर के रवाना होकर पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ के पास पंहुचे, जहां परिवादी को डिजीटल टेप रिकॉर्डर ऑन कर सुपुर्द कर एस.ओ. से सम्पर्क करने हेतु पुलिस थाने में भेजा एंव मैं वहीं आस–पास स्वयं की उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी की वापसी के इंतजार में व्यस्त हुआ। करीब सवा–डेढ घण्टे बाद परिवादी पुलिस थाना से निकलकर मेरे पास आया व डिजीटल टेप रिकॉर्डर मुझे सुपुर्द किया, जिसे स्वीच ऑफ कर मैंने मेरे पास रखा एंव परिवादी से पूछने पर उसने बताया कि आरोपी श्री अर्जुनसिंह देवड़ा ए.एस.आई. पुलिस थाना में हाजिर मिले, पहले तो वो मुझे मिले नहीं, जिस पर थाने में बैठे मेरे पूर्व नौकर श्री मौहरसिंह से मैंने कुछ समय तक बातचीत की तो उसने गाड़ी वापस नहीं करने की बात पर मेरे से माफी मांगी, कुछ समय बाद मौहरसिंह के जान–पहचान का उसके गांव के पास का ही एक व्यक्ति जो संभवतया आबूरोड़ क्षेत्र में टीचर लगा हुआ हैं, वो मौहरसिंह के परिजनों के कहने पर थाने में उनसे मिलने आया, उसने भी कुछ देर तक मेरे से बातचीत की एंव मौहरसिंह को माफ करने व मौहरसिंह के पास कोई खर्चा

तथा वहीं मेरे से मेरे मुकदमें के बारे में बातचीत कर मेरे से महुआ–दौसा आने–जाने का खर्चा 13000 रू. व इसके अतिरिक्त 50,000 रू. सहित कुल 63000 रू. की मांग की, जिस पर मैंने 63000 रू. बहुत ज्यादा होने का कहते हुए 25000–25000 रू. दो किश्तों में देने की बात तय की, एएसआई साहब ने 25000 रू. तुरन्त व बाकी के 25000 रू. सोमवार तक देने का कहा तो मैंने आज पैसों की व्यवस्था नहीं होने का बहाना कर कल 25000 रू. व शेष 25000 रू. सोमवार तक देने का कहा तो श्री अर्जुनसिंह एएसआई ने कहा कि राज्यपाल माउण्ट आ रहे हैं, इसलिए दो–तीन दिन मेरी डियूटी माउण्ट आबू रहेगी, इसलिए मैं सोमवार या मंगलवार को थाने में मिलूंगा तब आप पैसे देकर गाडी छुडवा लेना, साथ ही उसने मेरे नौकर मौहरसिंह को आज ही फ्री कर थाने में आये उसके गांव वाले/पडोसी टीचर के साथ रवाना कर दिया, फिर उसने मुझे कहा कि गाडी छुडवाने का ज्यादा अर्जेण्ट हो तो आप ऊपर माउण्ट आबू आकर मिल लेना, फिर गाड़ी छोड दूंगा, अर्थात रिश्वत राशि की लेन–देन माउण्ट आबू में होगी, एंव मैंने इस बात की उसे हां कर दी हैं, इसलिए उन्हें पैसे देने हेतु माउण्ट आबू जाना पडेगा। तत्पश्चात परिवादी से आरोपित ए.एस.आई. को रिश्वत में दी जाने वाली प्रथम किश्त की राशि 25000 रू. की व्यवस्था कर दिनांक 22.05.2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित आने एंव इस दौरान प्रकरण की गोपनीयता बनाए रखने की हिदायत कर उसे पीछे छोड़कर चौकी हाजा पर उपस्थित आया हूं। श्री रमेशकुमार कानि. 119 द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों से रिश्वती राशि की प्रथम किश्त का लेन–देन रविवार/22.5.22 व सैकिण्ड किश्त का लेन–देन सोमवार/23.5.22 को होना एंव आरोपित द्वारा परिवादी से 13000 रू. गाड़ी लेने हेतु महुआ–दौसा आने–जाने के दौरान रास्ते में किये गये व्यय पेटे देने एंव इसके अतिरिक्त 50,000 रू. ओर रिश्वती राशि मांग किया जाना स्पष्ट हुआ, लिहाजा उपरोक्त हालात से श्री अदाराम ए. एस.आई. एंव श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल उक्त प्रगति से अवगत करवाया गया, जिस पर मेरे द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को ध्यान से सुनकर पुनः अवगत कराने हेतु निर्देशित करने पर श्री अदाराम ए.एस.आई. व श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा निर्देशानुसार डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर ऑन कर रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग–सत्यापन वार्ता सुनी गई तो परिवादी के हवाले से श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा ऊपर बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए परिवादी से आरोपी द्वारा उक्तानुसार रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। जिस पर उपरोक्त हालात से उक्त दोनों द्वारा पुनः मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये मोबाईल अवगत करवाया गया। जिस पर मेरे द्वारा दूसरे दिन दिनांक 22.05.2022 को आरोपित ए.एस.आई. के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर प्रकरण में अग्रिम तैयारी करने हेतु चौकी स्टाफ को निर्देशित किया गया। साथ ही श्री रमेशकुमार कानि. के माध्यम से परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से सम्पर्क कर उन्हें दिनांक 22.05.2022 को प्रातः मय रिश्वती राशि के ब्यूरो कार्यालय सिरोही पंहुचने एंव मामले में पूर्ण गोपनीयता रखने की हिदायत कर ब्यूरो स्टाफ को भी नियत समय पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्देशानुसार श्री अदाराम ए.एस. आई. द्वारा परिवादी की रिपोर्ट मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर कार्यालय मालखाना में सुरक्षित रखे गये।

दिनांक 22.05.2022 को प्रातः प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय उप निदेशक, आई.सी.डी.एस. सिरोही से जरिये तेहरीर दो स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री खुशवन्त कुम्हार कनिष्ठ सहायक को मामुर करवाया गया। इस दौरान वक्त 09:30 ए.एम. पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो सिरोही, अतिरिक्त चार्ज भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ब्यरो जोधपर से रवाना सदा ब्यरो कार्यालय सिरोही पंहुचा। श्री

परिवादी की लिखित रिपोर्ट मय संलग्नक व उस समय तक की कार्यवाही के मुर्तिबा रनिंग नोट का अवलोकन कर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप सुना गया, तो पूर्व में श्री अदाराम एएसआई व श्री रमेशकुमार कानि. द्वारा जरिये मोबाईल बताये गये तथ्यों की ताईद होते हुए आरोपी श्री अर्जुनसिंह देवड़ा सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रिको–आबूरोड़, जिला सिरोही द्वारा परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से उसके द्वारा दर्ज मुकदमें में मदद करने एंव उसकी गाड़ी Maruti Swift Dzire VDI BS-4 No. GJ-14 E 6211 को लौटाने (सुपुर्दगी) की ऐवज में परिवादी से अवैध रूप से रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होना पाया गया। हाजिर श्री रमेशकुमार कानि. 119 से सत्यापन हालात मालुमात किये गये। तत्पश्चात श्री रमेशकुमार कानि. के माध्यम से परिवादी से सम्पर्क कर तलबी की गई तो परिवादी ने कहा कि आरोपित ए.एस.आई. को दी जाने वाली प्रथम किश्त की राशि की अभी तक व्यवस्था नहीं कर पाया हूं, आज सांय तक पैसों की व्यवस्था हो जायेगी, इसलिए दिनांक 23.05.2022 को कार्यवाही करवा पाऊंगा, जिस पर उस रोज कार्यवाही पोस्टपोण्ड (स्थगित) कर दूसरे दिनांक 23.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाकर परिवादी को दिनांक 23.05.2022 को प्रातः आबूरोड़ से लगभग 8–10 किलोमीटर सिरोही की तरफ ग्राम सरहद आमथला में हाईवे किनारे गोपनीय स्थान पर आरोपित ए.एस.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित उपस्थित मिलने बाबत् हिदायत की गई। उपरोक्त सम्पादित कार्यवाही संबधित पूर्ण हालात जरिये मोबाईल श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर को निवेदन कर अग्रिम कार्यवाही के दिशा–निर्देश प्राप्त किये गये। तत्पश्चात निर्देशानुसार श्री अदाराम एएसआई पूर्व में मामुरा दोनों स्वतन्त्र गवाहान को हमराह लेकर कार्यालय कक्ष में उपस्थित आया, जिस पर दोनों गवाहान को ब्यूरो कार्यालय में बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाकर उक्त का परिचय पूछा गया तो उन्होनें अपना–अपना परिचय क्रमशः श्री ललितकुमार मीणा पुत्र श्री जोगाराम मीणा, जाति मीणा, उम्र 42 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी सरूप नगर मीणावास, भाटकड़ा सिरोही, हाल कनिष्ठ सहायक, सी.डी.पी.ओ. कार्यालय पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही व श्री खुशवन्त कुम्हार पुत्र श्री जगदीशचन्द्र कुम्हार, जाति कुम्हार (प्रजापत), उम्र 28 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी कुम्हारवाड़ा, सिरोही, हाल कनिष्ठ सहायक, सी.डी.पी.ओ. कार्यालय शिवगंज, हाल प्रतिनियुक्त सी.डी.पी.ओ. कार्यालय सिरोही के रूप में दिया। चूंकि उस रोज की प्रस्तावित कार्यवाही पोस्टपोण्ड (स्थगित) कर दूसरे दिन दिनांक 23.05.2022 को अग्रिम कार्यवाही का निर्णय लिया जाने से दोनों स्वतन्त्र गवाहान को प्रकरण में गोपनीयता बनाये रखते हुए दूसरे दिन दिनांक 23.05.2022 को प्रातः ब्यूरो कार्यालय पर पुनः उपस्थित आने की हिदायत कर फॉरिक किया गया। इसी प्रकार कार्यालय स्टाफ को भी मुनासिब हिदायत की गई।

दिनांक 23.05.2022 को कार्यालय स्टाफ व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा व श्री खुशवन्त कुम्हार कनिष्ठ सहायकगण नियत समय पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये, जिस पर कार्यालय के श्री रमेशकुमार कानि. 119 के माध्यम से जरिये मोबाईल परिवादी से सम्पर्क कर पूर्व हिदायतानुसार आरोपित ए.एस.आई. को दी जाने वाली रिश्वती राशि सहित ग्राम/सरहद आमथला में पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने बाबत् निर्देशित किया गया। आरोपित ए.एस.आई. के विरूद्ध प्रस्तावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एक प्राईवेट वाहन की आवश्यकता होने से टैक्सी स्टेण्ड सिरोही से तलब सुदा श्री पुखराज टैक्सी चालक मय उसकी गाड़ी तूफान टेरेक्स नं. आर.जे. 24, टी.ए. 3056 के ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आया, जिसे शामिल ट्रेप दल किया गया। तत्पश्चात मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार कनिष्ट सहायक, व श्री खुशवन्तकुमार कुम्हार कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री अदाराम स.उ.नि. श्री मोहनराम कानि. नं. 261 श्रीमति

चालक श्री गणेशलाल नं. 561 व प्राईवट वाहंन टेरेक्स तूफान नं. आर.जे. 24, टी.ए. 3056 मय चालक श्री पुखराज के ट्रेप कार्यवाही हेतु भ्रनिब्यूरो सिरोही से रवाना होकर सरहद/ग्राम आमथला में पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर पंहुचा, जहां पूर्व पाबन्द सुदा परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी मय स्वयं की स्कूटी के उपस्थित मिला, जिन्होनें बताया कि काफी प्रयासों के बावजूद मैं आरोपित को दी जाने वाली रिश्वती राशि में से 15000 रू. की ही व्यवस्था कर पाया हूं, चूंकि मेरी आरोपित ए.एस.आई. से पूर्व में हुई मांग सत्यापन वार्तानुसार उसे दो किश्तों में राशि 25000–25000 रू. रिश्वत देना तय हुआ था, जिसे मैं आज 15000 रू. देकर शेष बकाया समस्त राशि सोमवार तक देने की बात करूंगा तो वो मेरे से 15000 रू. ले लेगा। जिस पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ की जाकर हाजिर परिवादी श्री वसन्त ज़ीवराज भाई संघाणी से दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा व श्री खुशवन्त कुम्हार का परस्पर परिचय करवाया गया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दोनों गवाहान को पढकर सुनाया गया एंव पढाया गया। रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता के मांग–सत्यापन से संबधित महत्वपूर्ण वार्ता के अंश (डिजीटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्डिंग वार्ता समय 01:03:34 घण्टा/मिनट/सैकिण्ड से 01:14:00 घण्टा/मिनट/सैकिण्ड तक का लगभग 11:00 मिनट का वार्तालाप डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर चालू कर रिवर्स/फोरवर्ड कर दोनों गवाहान को सुनाया गया। दोनों गवाहान ने भी परिवादी से विस्तृत पूछताछ कर तसल्ली कर परिवादी के प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर करते हुए कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाहान बनने की मौखिक सहमति प्रदान की।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से आरोपी श्री अर्जुनसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु कहा गया तो परिवादी ने भारतीय मुद्रा के 500–500 रू. के 30 नोट, कुल 15,000 रू अपनी शर्ट की जेब से निकाल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर निम्नानुसार है :–

1.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	KT	493687
2.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	SW	552862
3.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DG	058837
4.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	DL	735009
5.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	QM	736579
6.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	CW	655871
7.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	UG	034203
8.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	NF	527240
9.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	AH	929127
10.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	5	TP	226672
11.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	KN	931310
12.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	DD	266959
13.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	1	RM	724298
14.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	4	BE	241643
15.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	NM	944343
16.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	0	MA	647813
17.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	3	NV	704162
18.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7	TW	788756

24.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	NK	284794
25.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	7	CE	170396
26.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	VG	341694
27.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	VG	341693
28.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	8	BN	416089
29.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	2	QL	886785
30.	एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी	9	SR	465525

कार्यालय से वक्त रवानगी हमराह लाई गई फिनोफथलीन पाऊडर की पुड़िया श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर उक्त 15,000 रू. के सभी नोटों को प्राईवेट तुफान गाड़ी में पीछे की सीट पर बिछाए गए एक पुराने अखबार के ऊपर रखवाकर प्रत्येक नोट पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाऊडर श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक से लगवाया गया। परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी की जामा तलाशी गवाह श्री ललितकुमार मीणा कनिष्ट सहायक से लिवाई जाकर परिवादी के पास कोई आपत्तिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त नोटों को परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी के पहनी हुई पैण्ट के दांहिनी साईड की जेब में श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक से रखवाये जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को नहीं छुऐ, आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. के मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे, इस दौरान आरोपी से हाथ नहीं मिलावे तथा साथ ही परिवादी को यह भी निर्देशित किया गया कि आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद वो इस राशि को कहां रखता हैं या छिपाता हैं ? इस बात का ध्यान रखते हुए अपने सिर पर दो–तीन बार हाथ फेरकर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल/मिसकॉल कर गोपनीय ईशारा करें। तत्पश्चात एक कांच की साफ गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल तैयार कर गवाहान, परिवादी को दिखाया गया तो सभी हाजरीन ने रंगहीन घोल होना स्वीकार किया। इस रंगहीन घोल में श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग इस तरह से परिवर्तित होकर गुलाबी या हल्का झांईदार गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाऊडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की किया–प्रतिकिया व उपयोगिता के बारे में सभी को भली भांति समझाया गया। फिर श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिंकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने हेतु उपयोग में लिए गए अखबार व हमराह लाई गई फिनोफ्थलीन पाऊडर की पुड़िया को बचे हुए फिनोफ्थलीन पाऊडर सहित उक्त को जलाकर नष्ट करवाया गया। समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यों, गवाहान के हाथ एवं ट्रेप कार्यवाही हेतु उपयोग में ली जाने वाली सामग्री वगैरा को भी साफ पानी व साबुन से दो–दो बार धुलवाया गया एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों की आपस में जामा तलाशी लिरवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु एवं राशि आदि नहीं रहने दी गई। मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना मोबाईल अपने पास रखा। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन–देन व वार्तालाप को देखने व

लेपटॉप–प्रिन्टर को लाईट से जोड़कर उक्त कार्यवाही की परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान के रूबरू फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट एवं सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाऊडर मुर्तिब कर उक्त का प्रिन्ट आऊट लिया जाकर इस पर संबधितगण के हस्ताक्षर करवाये जाकर फर्द शामिल पत्रावली की गई।

तत्पश्चात परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी को मय उनकी स्कूटी के साथ लेकर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय अन्य समस्त हमरायिान के सरकारी व प्राईवेट वाहनों तथा परिवादी की स्कूटी के ग्राम/सरहद आमथला से रवाना होकर माउण्ट आबू में स्थित नक्की झील के पास पंहुच राजकीय व प्राईवेट वाहनों को रोककर परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से एक बार पुनः रिश्वती राशि लेन–देन के संबध में मुनासिब समझाईश कर आस–पास की लोकेशन का नजरी अवलोकन कर ट्रेप दल को आवश्यक ब्रीफिंग की गई। बाद परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी द्वारा जरिये मोबाईल वास्ते लेन–देन आरोपी श्री अर्जुनसिंह एएसआई से सम्पर्क करने पर उसके द्वारा परिवादी के कॉल का कोई रेस्पोन्स नहीं दिया गया, जिस पर परिवादी द्वारा स्वयं के माउण्ट आबू आने का वॉट्सऐप मैसेज आरोपित के वॉट्सऐप अकाउण्ट पर छोड़ा गया, किन्तु करीब ढाई–तीन घण्टे तक आरोपित ए.एस.आई. द्वारा परिवादी के कॉल व वॉट्सऐप मैसेज का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। जिस पर परिवादी ने अपने स्तर पर आरोपित ए.एस.आई. की मालुमात कर बताया कि ट्रेप दल की लोकेशन से करीब आधा–पौन किलोमीटर दूर राजभवन पर उसकी डियूटी हैं, जिसके राज्यपाल महोदय की सुरक्षा डियूटी में व्यस्त होने से उसके द्वारा अभी तक मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया, जिस पर कुछ समय तक ओर इन्तजार करने का निर्णय लिया गया कि इस दौरान परिवादी ने बताया कि पूर्व में आरोपी से हुई वार्तानुसार आज के रोज उसकी 04:00 पी.एम. तक राज्यपाल प्रवास में सुरक्षा डियूटी हैं, इसलिए अब उसकी डियूटी समाप्त हो चुकी हैं, इस लिहाज से वो यहां से आबूरोड़ की तरफ रवाना हो चुका हैं या होने वाला हैं, इसलिए यहां उसका इन्तजार करने का कोई औचित्य नहीं हैं। लिहाजा परिवादी द्वारा स्वयं के माउण्ट आबू छोड़ने का मैसेज आरोपित एएसआई के वॉट्सऐप पर किया गया एंव तत्पश्चात परिवादी को मय उसकी स्कूटी के हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय शेष समस्त हमराहियान के प्राईवेट व सरकारी वाहनों से रवाना माउण्ट आबू से आबूरोड़ तलहटी के पास एक गोपनीय स्थान पर पंहुचा, जहां पीछे–पीछे निर्देशानुसार परिवादी भी स्वयं की स्कूटी से उपस्थित आया, व बताया कि अभी रास्ते में कुछ देर पहले आरोपी श्री अर्जुनसिंह एएसआई ने अपने मोबाईल नंबर 9636521875 से मेरे मोबाईल नंबर 9828148500 पर कॉल कर बताया कि अभी मेरी राजभवन में राज्यपाल सुरक्षा में डियूटी हैं, यहां डियूटी पर मोबाईल अलाऊ नहीं होने से मैं आपके कॉल व वॉट्सऐप मैसेज के समय पर प्रत्युत्तर नहीं दे पाया, आज डियूटी से फ्री नहीं हो पाऊंगा, कल सांय 05:00 बजे तक यहां डियूटी हैं, इसके बाद मैं यहां से नीचे उतरकर थाने में जाऊंगा, इसलिए आप कल सांय को 05:00 पी.एम. के बाद अपनी गाड़ी लेने के लिए पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ में आ जाना। परिवादी द्वारा बताये गये उपरोक्त तथ्यों के अनुसार दूसरे दिन दिनांक 24.05.2022 की सांय 05:00 पी.एम. के बाद आरोपित ए.एस.आई. के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही आयोजन का निर्णय लिया जाकर हमराह जाब्ता के श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक के माध्यम से रूबरू गवाहान परिवादी के पहनी हुई पैण्ट की दांहिनी साईड की जेब में रखी गई फिनोफ्थलीन पाऊडरयुक्त रिश्वती राशि 15000 रू. प्राप्त कर एक सफेद कागज में लपेटकर मालखाना प्रभारी श्री अदाराम ए.एस.आई. को सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी को दूसरे दिन दिनांक 24.05.2022 सांय 05:00 पी.एम. पर पलिस थाना रिको–आबूरोड के पास निर्धारित गोपनीय स्थान पर

जमा मालखाना करवाई गई। प्राईवेट वाहन टेरेक्स तूफान नं. आर.जे. 24, टी.ए. 3056 मय चालक श्री पुखराज को फॉरिक कर रूखसत दी गई। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने व दूसरे दिन दिनांक 24.05.2022 को वक्त 04:00 पी.एम. पर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर फॉरिक किया गया। ब्यूरो स्टाफ को भी प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने बाबत् निर्देशित किया गया।

दिनांक 24.05.2022 को दोपहर बाद नियत समय पर पूर्व हिदायतानुसार दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा व श्री खुशवन्त कुम्हार कनिष्ठ सहायकगण ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से जरिये कार्यालय स्टाफ मोबाईल सम्पर्क करने पर उन्होनें बताया कि अभी कुछ क्लीयर नहीं हैं, कुछ समय बाद मालुमात कर बता पाऊंगा कि आरोपित ए.एस.आई. माउण्ट आबू की राज्यपाल डियूटी से फॉरिक होकर पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ में कितने बजे आयेगा, साथ ही परिवादी ने यह भी बताया कि गाडी के आर.सी. होल्डर मेरे मौसी बेटे भाई श्री मनीष भाई व उसका चाचाई भाई वीनू कल रात से मेरे घर पर अपनी गाडी लेने हेतु आये हुए थे, गोपनीयता की दृष्टि से इस ट्रेप कार्यवाही के बारे में मेरे द्वारा उक्त दोनों को कोई बात नहीं कही गई हैं, ये दोनों मेरे द्वारा मना करने के बावजूद गाडी प्राप्त करने हेतु मेरे घर से पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ में चले गये हैं, जो वहीं श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. का इन्तजार कर रहे हैं। जिस पर परिवादी से आरोपित ए.एस.आई. की उपस्थिति बाबत् पुख्ता सूचना प्राप्त कर अवगत कराने बाबत् हिदायत की जाने पर करीब एक–डेढ घण्टे पश्चात पूर्व हिदायतानुसार परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी ने जरिये मोबाईल कार्यालय स्टाफ श्री रमेशकुमार कानि. व श्री सोहनराम कानि. से वार्ता कर बताया कि थाने में मौजूद मेरे भाईयों श्री मनीष भाई व श्री वीनू भाई ने मुझे बताया कि ए.एस. आई. साहब थाने में आ गये हैं, जिन्हें उन दोनों ने मेरे बारे में बात कर बताया कि आपसे वसन्त जीवराज भाई संघाणी मिल लेगें, आप हमें गाडी दे दो, जिस पर आरोपित ए.एस.आई. ने उन्हें गाड़ी सुपुर्द करने की प्रकिया प्रारंभ कर दी हैं, आप लोग जल्दी आओ, तो मैं भी थाने में आरोपित ए.एस.आई. से सम्पर्क करने हेतु जा पाऊंगा। जिस पर मन् ओमप्रकाश चौधरी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, हमराह दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार कनिष्ट सहायक, व श्री खुशवन्तकुमार कुम्हार कनिष्ठ सहायक, ब्यूरो जाब्ता श्री अदाराम स.उ.नि., श्री सोहनराम कानि. नं. 361, श्री रमेशकुमार कानि. 119, श्री हरिश मीणा कनिष्ठ सहायक मय ट्रेप बॉक्स मय फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 15000 रू., कार्यालय का लेपटॉप, प्रिन्टर, डिजीटल वॉयस रिकॉर्ड व अन्य आवश्यक सामग्री के जरिये सरकारी राजकीय वाहन बोलेरो संख्या आरजे 14 यूए 0819 चालक श्री गणेशलाल नं. 561 के एसीबी ओपी सिरोही से रवाना होकर रिको–पुलिस थाना आबूरोड़ के पास पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर पंहुचा, जहां पूर्व पाबन्द सुदा परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी उपस्थित मिले, जिन्होनें बताया कि अभी जस्ट मेरे पास थाने में गये हुए मेरे मौसीयाई भाई मनीष व वीनू ने फोन कर मुझे बताया कि हमने आपका कहकर गाडी मांगी तो ए.एस.आई. साहब ने लिखा–पढी की फॉरमल्टी पूर्ण कर हमें गाड़ी दे दी हैं, जिस पर हमने ए.एस.आई. साहब को कहा कि खर्चा–पानी की बात वसन्त जीवराज भाई संघाणी करेगें, तब उन्होनें हमें गाडी सुपुर्द कर कहा कि कोई बात नहीं आप गाडी ले जाओ, मैं अपने आप आपके भाई श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी से मिल लूंगा। इसके बाद अपनी तबीयत ठीक नहीं होने का कहकर ए.एस.आई. थाने से निकलकर अपने घर की तरफ चले गये हैं। अब वो थाने में नहीं मिलेगें। जिस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. के मोबाईल पर कॉल करवाया गया तो उन्होनें परिवादी का कॉल अटेण्ड करने के बजाय कॉल कट कर दिया. चंकि परिवादी के भाईयों के अनसार आरोपित

परिस्थिति उस दिन रही होगी, इस बाबत् उस समय किसी स्पष्ट निष्कर्ष पर पंहुचा जाना संभव नहीं था, न ही उस दिन अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना संभव था, चूंकि परिवादी के प्रकरण में जब्त गाडी परिवादी पक्ष द्वारा प्राप्त की जा चुकी थी, इसलिए परिवादी को हिदायत की गई कि स्वयं की तरफ से चलाकर आरोपित ए.एस.आई. से आगामी दो–चार दिन तक कोई सम्पर्क नहीं करना हैं, इस दौरान उसे एसीबी कार्यवाही बाबत् कोई शक–सुब्बा हैं तो भी दूर हो जायेगा, एंव यदि इस दौरान आरोपित ए.एस.आई. की तरफ से उससे (परिवादी) सम्पर्क कर रिश्वत राशि की मांग की जावे तो आरोपी से कुछ समय लेते हुए अविलम्ब मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सूचित करने बाबत् परिवादी से समझाईश की गई। साथ ही प्रकरण में फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वती राशि मांग–सत्यापन की कार्यवाही हेतु परिवादी को दूसरे दिन दिनांक 25.05.2022 वक्त 11:00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय सिरोही पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर उन्हें फॉरिक कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान जरिये राजकीय वाहन आबूरोड से रवाना होकर एसीबी कार्यालय सिरोही पंहुचा। फिनोफ्थलीन पाउडरयुक्त रिश्वती राशि 15000 रू. मय ट्रेप बॉक्स जमा मालखाना करवाई गई। दोनों स्वतन्त्र गवाहान को प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने व फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वती राशि मांग–सत्यापन की कार्यवाही हेतु दूसरे दिन दिनांक 25.05.2022 वक्त 11:00 ए.एम. पर पुनः ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने की हिदायत कर फॉरिक किया गया। ब्यूरो स्टाफ को भी प्रकरण में गोपनीयता बनाए रखने बाबत् निर्देशित किया गया।

दिनांक 25.05.2022 को नियत समय पर पूर्व पाबन्द सुदा परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी तथा दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री खुशवन्तकुमार कुम्हार कनिष्ठ सहायक ब्यूरो कार्यालय पर उपस्थित आये। प्रकरण हाजा में रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट मुर्तिब करनी शेष होने से परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी एवं आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. के मध्य दिनांक 21.05.2022 को रूबरू हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन की वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकॉर्ड थी, को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्किप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। उक्त डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकार्ड रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप को हूबहू कार्यालय के कम्पयुटर के माध्यम से एक पेन ड्राईव (ADATA 16 GB) में ली जाकर सेव की गई तथा साथ ही उक्त वार्ता की एक सी. डी. तैयार की गई। पेन ड्राईव (ADATA 16 GB) में ली गई (Save) वार्ता को मूल मानते हुये उक्त पेन ड्राईव को एक कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर फर्द व थेली पर सम्बंधितगणों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेन ड्राईव की सील्डयुक्त थेली पर मार्क "D" अंकित किया गया, एवं उक्त वार्ता की तैयार की गई सी.डी. को डब मानते हुये खुली रखी गई। आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. व स्वयं के आवाज की पहचान परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी द्वारा की गई। उक्त वार्ता की मूल सील्डयुक्त पेन ड्राईव व डब सीडी मालखाना प्रभारी श्री अदाराम ए.एस.आई. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। बाद परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ललितकुमार मीणा कनिष्ठ सहायक व श्री खुशवन्त कुम्हार कनिष्ठ सहायक को प्रकरण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने व तलबी पर पुनः उपस्थित आने तथा साथ ही परिवादी को पूर्व में दी गई हिदायतों के मध्यनजर आरोपी द्वारा रिश्वती राशि हेतु सम्पर्क करने पर उससे कुछ समय लेते हुए अविलम्ब मन् एडिशनल एस.पी. को अवगत कराने की पुनः हिदायत कर फॉरिक किया गया। प्रकरण के उक्त हालात श्रीमान उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो जोधपुर को जरिये दूरभाष निवेदन कर आवश्यक दिशा–निर्देश प्राप्त किये गये।

मैंने उनसे कहा कि मैंने आपकी कहीं कोई शिकायत नहीं की हैं, जिस पर उसने कहा कि मुझे सब मालुम हैं, ताबाद फोन कट कर दिया एंव इसके पश्चात आरोपित ए.एस.आई. ने हमारे कॉमन जानकार एक–दो व्यक्तियों को कहा कि वसन भाई ने मेरी ऊपर के अफसरों को शिकायत कर दी और मेरी रिकॉर्डिंग करके कार्यवाही के लिए आगे पेश कर दी हैं, जबकि मैंने करीब डेढ–दो साल बाद उसकी गाडी बरामद करके उसका काम कर दिया, फिर भी उसने मेरी शिकायत कर दी, इसके अलावा श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. ने मेरे से आज तक कोई सम्पर्क नहीं किया हैं, उल्टा मैंने एक–दो बार उससे सम्पर्क करने की कोशिश की किन्तु उसने कोई रेस्पोन्स नहीं दिया, उसे ए.सी.बी. कार्यवाही की भनक लग गई हैं, इसलिए अब वो मेरे से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं करेगा। आरोपी को ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से अग्रिम रिश्वती राशि लेन–देन कार्यवाही होना असंभव था, लिहाजा परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश रिश्वती राशि 15000 रू. को जमा रखने का कोई औचित्य नहीं होने से उक्त राशि पुनः परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी को लौटाने का निर्णय लिया जाकर दूसरे दिन दिनांक 07.06.2022 को परिवादी व दोनों गवाहान की ब्यूरो कार्यालय पर तलबी कर गवाहान के रूबरू उक्त राशि मालखाना से प्राप्त कर उस पर लगे फिनोफ्थलीन पाऊडर को साफ करवाकर भारतीय मुद्रा 500–500 रू. के 30 नोट कुल राशि 15000 रू. (जो कार्यवाही हेतु पूर्व में परिवादी द्वारा पेश किये गये थे) रूबरू गवाहान परिवादी को पुनः सुपुर्द किये जाकर इसकी प्राप्ति रसीद परिवादी से प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई। बाद दोनों गवाहान व परिवादी को फॉरिक कर रूखसत किया गया।

प्रकरण हाजा की उपरोक्त कार्यवाही से आरोपी श्री अर्जुनसिंह सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रिको–आबूरोड़, जिला सिरोही द्वारा लोकसेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री वसन्त जीवराज भाई संघाणी हाल निवासी आबूरोड़ द्वारा पुलिस थाना रिको–आबूरोड़ में दर्ज करवाये गये प्रकरण संख्या 94/2022 में बेतोर अनुसंधान अधिकारी आरोपित ए.एस.आई. द्वारा परिवादी का सहयोग कर माल–मुलजिम बरामदगी एंव प्रकरण में मतलूब परिवादी की गाड़ी Maruti Swift Dzire VDI BS-4 No. GJ-14 E 6211 को थाना स्तर पर रिलीज कर परिवादी को सुपुर्द करने की ऐवज में दिनांक 21.05.2022 को वक्त सत्यापन परिवादी से माल–मुलजिम बरामदगी हेतु आबूरोड़ से महुवा–दौसा तक आने–जाने का व्यय 13000 रू. व इसके अतिरिक्त 25000–25000 रू. सहित 50,000 रिश्वती राशि की मांग कर उक्त राशि दो किश्तों में परिवादी से लिया जाना तय करने पर दिनांक 23 व 24 मई/2022 को ट्रेप कार्यवाही आयोजन के समय ब्यूरो कार्यवाही की भनक लगने से आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त नहीं करना पाया जाने से रिश्वत राशि की मांग के आधार पर आरोपी श्री अर्जुनसिंह ए.एस.आई. के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 प्रथम दृष्टिया प्रमाणित पाया गया हैं।

अतः आरोपी **श्री अर्जुनसिंह** पुत्र श्री जगतसिंह, जाति राजपूत, उम्र 46 वर्ष, पैशा सरकारी नौकरी, निवासी ग्राम वीरवाड़ा, पुलिस थाना पिण्डवाड़ा, जिला सिरोही, हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रिको–आबूरोड़, जिला सिरोही के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें।

भवदीय

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ओमप्रकाश चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्त श्री अर्जुनसिंह, सहायक उप निरीक्षक पुलिस, पुलिस थाना रिको-आबूरोड़ जिला सिरोही के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 281/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

13.7.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 2470-74 दिनांक 13.7.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पाली।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला सिरोही।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।